जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा

पशुपालकों एवं लघु डेरी उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :–

राज्य में ग्रामीण प्रगतिशील कृषकों/शिक्षित बेरोजगार/लघु डेयरी उद्यमियों को गव्य विकास के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत सरकारी अनुदान तथा बैंक ऋण के आधार पर निम्नवर्णित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाना है :–

क्र0	कार्यक्रम	ईकाई मूल्य
1.	2–10 उन्नत देशी नस्ल/शंकर नस्ल के दुधारू गाय/भैंस की लघु डेयरी फार्म की स्थापना (न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 10 दुधारू पशु)	10 दुधारू पशओं की इकाई के लिए 6.00 लाख रूपये
2.	उन्नत देशी/शंकर नस्ल के हीफर रियरिंग की योजना (अधिकत्तम 20 हीफर)	20 हीफर के लिए 5.30 लाख रूपये
3.	दुधारू मवेशी की इकाई के साथ बर्मी कम्पोस्ट की योजना	22000 रूपये
4.	मिल्कींग मशीन/मिल्को टेस्टर/बल्क मिल्क कूलर इकाई (अधिकतम 5000 लीटर क्षमता) का क्रय	20.00 लाख रूपये
5.	दुग्ध उत्पादों के निर्माण हेतु संयत्रों का क्रय	13.20 लाख रूपये
6.	दुग्ध उत्पादों के परिवहन एवं कोल्ड चेन की स्थापना	26.50 लाख रूपये
7.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	33.00 लाख रूपये
8.	निजी पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना	चलन्त क्लीनिक के लिए 2.60 लाख रूपये एवं स्थायी क्लिनिक के लिए 2.00 लाख रूपये
9.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु पार्लर की स्थापना	1.00 लाख रूपये

1. **लाभुकों की अहर्त्ता** :– कृषक, लघु डेरी उद्यमी, स्वंय सहायता समूह के सदस्य, दुग्ध सहकारी समितियॉ, जिला दुग्ध संघ, मिल्क फेडरेशन एवं पंचातयी राज संस्थाऍ इत्यादि।
2. **अनुदान** :– सामान्य जाति के लिए 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 33.33 प्रतिशत अनुदान।
3. **ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थान** :– व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण एवं शहरी बैंक/सहकारी बैंक/राज्य सहकारी एवं ग्रामीण बैंक एवं अन्य सभी वित्तीय संस्थान जो नाबार्ड (NABARD) से पुर्नवितपोषण के योग्य हैं।
4. **योजना कार्यान्वयन की पद्धति** :– इच्छुक लाभुक अपने निकटम बैंक शाखा/वित्तीय संस्थान से सम्पर्क कर आवेदन पत्र जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गढ़वा से अनुशंसित कराकर जमा करेंगे। संबंधित बैंक द्वारा लाभुक की अहर्त्ता के अनुरूप नियमानुसार वित्त पोषण करते हुए योजनान्तर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि नाबार्ड, राँची से प्राप्त करेंगे।

   इच्छुक लाभुक जिला गव्य विकास किार्यालय, गढ़वा अथवा अपने निकटतम बैंक शाखा/वित्तीय संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 31.03.2017 तक परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋण आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

5. इस सूचना को गढ़वा जिला के वेबसाईट http://www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

17/01/2017

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।